पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 485/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
जानीबाई पुत्री गोपालराम पत्नी सुरजाराम विश्नोई, निवासी– नेवा, कानासर, तहसील बाप जिला जोधपुर हाल–निवास– मेहराणा मेहराजपुर, फाजीलखा, पंजाब जरिये खास मुख्तयार दलीपकुमार पुत्र सुरजाराम विश्नोई, निवासी– नेवा, कानासर, तहसील बाप जिला जोधपुर हाल–निवास– मेहराणा मेहराजपुर, फाजीलखॉं, पंजाब		1 पृथ्वीराज पुत्र गोपालराम 2 विष्णुदत पुत्र हंसराज 3 सुभाष पुत्र हंसराज जातियान विश्नोई निवासी–गांव लखुवाना, पोस्ट मोजगढ तहसील डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा। 4 प्रमिला पत्नी राजेन्द्र भादू निवासी– गांव अबुबशहर, तहसील डबवाली, जिला सिरसा,हरियाणा। 5 उर्मिला पत्नी जयप्रकाश गांव–चक 23 एमओडी पोस्ट हरदयालपुरा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज0 6 वेदप्रकाश पुत्र जवाहरलाल गांव पोस्ट मैनावाली तहसील हनुमान गढ। 7 सुमन पत्नी रोहताश गांव पोस्ट मैनावाली रायसिंह नगर जिला गंगानगर। 8 ईमान्तीदेवी पत्नी जगदीशचन्द गांव पोस्ट गंगा तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा के कायम मुकामः– 1. रविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 ईमान्तीदेवी 2. समीनारानी पुत्र ईमान्तीदेवी 3. दिपीकारानी पुत्र ईमान्तीदेवी 4. सुखा पुत्री ईमान्तीदेवी 5. प्रदीपकुमार पुत्र ईमान्ती देवी निवासीगण– गांव पोस्ट गंगा तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा 9. ग्राम पंचायत कानासर जरिये सरपंच, ग्राम कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 20.11.2020 एवं 21.12.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, बाप के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 133/2020 व राजस्व अपील संख्या 13/2016 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– श्री पी0डी0 दवे, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित नहीं हुए।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 17 अक्टूबर,2022

अपीलार्थीया के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम नेवा कानासर के ख0सं0 41/3 रकबा 120 बीघा स्थित थी जिसमें अपीलार्थीया के पिता गोपालराम पुत्र बगडावतराम बतौर सहखातेदार दर्ज थे। श्री गोपालराम के देहान्त होने पर उनके फौतेदगी नामा0

संख्या 1145 केवल रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थीया भी स्व0 गोपालराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। अपीलार्थीया ने नामा0 संख्या 1145 के विरूद्ध धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई जिसके साथ स्व0 गोपालराम की वंशावली भी पेश की। उक्त अपील को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.12.2018 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी का पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2020 को अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता को प्रस्तुत अपील पर उनकी बहस करने हेतु न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये परन्तु उनके सहायक अधिवक्ता के द्वारा बहस हेतु बार-बार अवसर लिया जाता रहा उसके उपरान्त भी आज दिन तक रेस्पो0 संख्या एक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अपीलार्थीया की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलार्थीया की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें उसका जन्म से अधिकार है। अपीलार्थीया के पिता गोपालराम पुत्र बगडावतराम रेकर्डेड खातेदार थे जो राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है। उनके पिता के फौत होने पर विरासत का नामा0 संख्या 1145 अपीलार्थीया को बिना कोई नोटिस दिये ग्राम पंचायत के द्वारा बिना वारिसों की सही जॉच किये केवल रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी भी स्व0 गोपालराम की प्रथम श्रेणी की वारिस है। इस प्रकार अपीलार्थी का मामला हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम अनुसार व राज0 भू राजस्व अधिनियम अनुसार बखुबी साबित है। धारा 140 राज0 भू राजस्व अधिनियम अनुसार पैतृक भूमि में प्रथम श्रेणी के वारिसों का बाईबर्थ कानूनी अधिकार है। इस प्रकार नामा0 संख्या 1145 कानूनन अपीलार्थी के हितों के विरूद्ध बेअसर व शून्य है।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया का पैतृक गांव कानासर तहसील बाप में है तथा उसका ससुराल राजस्थान से बाहर पंजाब राज्य में है। इस कारण अपीलार्थी का अपनी पैतृक भूमि में कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हेतु जरिये खास मुख्तयार नामा0 संख्या 1145 के विरूद्ध सहायक कलेक्टर बाप में अपने अधिवक्ता हीराराम विश्नोई के मार्फत अपील प्रस्तुत की थी। श्री हीराराम वयोवृद्ध अधिवक्ता है उनकी आयु करीबन 90 वर्ष है वे ज्यादातर फलौदी के न्यायालयों में वकालत करते है तथा पिछले 5-6 वर्षो से बीमार भी रहते है। इस कारण वे अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसके आधार पर प्रथम अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा अपील को पुनः बरामद करने हेतु आदेश 09 नियम 054 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था वो भी केवल दो पेशियों में खारिज कर दिया इस कारण से अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से बहाल रखे जाने के काबिल नहीं है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि किसी अधिवक्ता की भूल अथवा गलती से किसी पक्षकार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अपील को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन दिशा- निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलार्थीया की अपील का मूल नामा0 तलब कर गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जावें। अपीलार्थीया अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरे पेश की यथाः- आरआरडी 1992 पेज 99, आरआरडी 1999 पेज 208, आरआरटी 2018 (2) पेज 976, आरआरटी 2022(1) पेज 182

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 20.11.2020 एवं दिनांक

21.12.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया जिसमें अपीलान्टस की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नियुक्त वयोवृद्ध अधिवक्ता अपील विचारण के दौरान बीमार पड जाने के कारण प्रकरण के निस्तारण की जानकारी समय पर नहीं हो पाना अंकित किया है तत्पश्चात अपीलार्थीनी के द्वारा दिनांक 17.9.2021 को फलौदी जाकर प्रकरण की जानकारी अधिवक्ता के कार्यालय से ज्ञात किये जाने पर प्रकरण की जानकारी होना दर्शाया है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीनी की यह द्वितीय अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीनी की ओर से अपीलाधीन नामा0 संख्या 1145 जो कि श्री गोपालराम के देहान्त उपरान्त उनके पुत्रों क्रमशः पृथ्वीराज व हंसराज के पक्ष में दिनांक 20.05.2013 को स्वीकृत किया गया था के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 13/2016 को दिनांक 21.12.2018 को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है। तत्पश्चात उनकी ओर से प्रथम राजस्व अपील को पुनः बरामद करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 20.11.2020 को खारिज किया जाना प्रकट होता है।

इस सम्बन्ध में निर्णय नजीर आरआरटी 2022 (1) ओंकार बनाम मोतीराम का अवलोकन भी किया जिसमें इस प्रकार के अदम हाजरी व अदम पैरवी में निस्तारित किये गये प्रकरणों के विरूद्ध अपील किये जाने के प्रावधान होना उल्लेखित किया है। "Order of dismissing application for restoration is appealable"। जो इस अपील प्रकरण में लागू होते है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण की ओर से दौराने बहस प्रकट किये गये तर्कों का समग्र विवेचन विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत अपील को अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गुणावगुण पर निर्णित नहीं कर अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई है, अपीलार्थीनी की ओर से नियुक्त वयोवद्ध अधिवक्ता के बीमार रहने एवं बाप मुख्यालय पर नहीं रहने एवं फलौदी मुख्यालय से बाप मुख्यालय जाकर पैरवी करना उल्लेखित किया गया है। हमारे विनम्र मत में इस प्रकार के गुणावगुण पर निर्णित किये जाने वाले प्रकरणों में अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रकरण खारिज किया जाना पक्षकार के प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों एवं हितों के विपरित है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल के समय प्रकरणों को अदम हाजरी में निर्णित किया जाना भी न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों एवं आब्जर्रवशनों के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश क्रमशः 21.12.2018 एवं 20.11.2020 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील संख्या 13/2016 पर पारित आदेश दिनांक 21.12.2018 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 सीपीसी पर पारित आदेश दिनांक 20.11.2020 दोनों को खारिज किये जाते है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण को पुनः दर्ज कर उभय पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात विधिवत निर्णय पारित करे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 विश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर